HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 17954/2026
CNR: RJHC021085922026 | URN: CRLMB / 33038U / 2026

Nitin Naresh S/o Shri Naresh Singh, Aged About 40 Years, R/o D-12, Gali No. 4, Delhi.

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Sahil Rao, Adv. Ms. Aditi Meena, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh Shekhawat, PP Mr. Garvit Khandelwal, with Mr. Shubham Bhati, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

26/11/2026

प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से धारा 482 बी.एन.एस.एस. के तहत यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पुलिस थाना–**शास्त्रीनगर, जयपुर शहर उत्तर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–**267/2026** अपराध अंतर्गत धारा 308(2), 308(3), 351(2), 61(2), 3(5) भारतीय दण्ड संहिता में गिरफ्तारी की आशंका के फलस्वरूप अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि अभियुक्त निर्दोष है, उसके द्वारा बलपूर्वक राशि मांगने के बाबत् कोई ईमेल परिवादी पक्ष को जारी नहीं किया गया है, परिवादी अनिरूद्ध परिवाद प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत नहीं है। वास्तव में परिवादी पक्ष की कम्पनी के द्वारा 4000 करोड़ रूपये की वित्तीय अनियमितता की गयी है, जिसके संबंध में अभियुक्त द्वारा पत्रकार की हैसियत से सद्भाविक सामग्री छापी गयी है उससे व्यथित होकर मात्र दबाव बनाने के लिए मिथ्या आरोपण किया गया है। उनका यह भी निवेदन है कि अभियुक्त के

Digitally signed by
ARUN KUMAR
MITTAL
Date: 2026.11.26
16:39:20 IST

खाते में अनाधिकृत रूप से कोई राशि 11700/– रूपये परिवादी द्वारा जमा करवा दी गयी है तो उसके लिए अभियुक्त को आरोपित अपराध से नहीं जोड़ा जा सकता। समाचार के प्रकाशन के संबंध में पूर्व से ही विवाद दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है जिसमें दोनों पक्षों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये हुए हैं, अभिरक्षात्मक अनुसंधान शेष नहीं है, अकारण अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तो उसके विधिक अधिकारों का हनन होगा, अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी–अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। परिवादी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि अभियुक्त द्वारा लम्बे समय से परिवादी के विरूद्ध अनुचित व अनाधिकृत अपमानजनक सामग्री का प्रकाशन किया जा रहा है, जिसके संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था जिसमें प्रसारण पर युक्तियुक्त रोक के संबंध में आदेश अभियुक्त के संबंध में जारी हो रखा है, लेकिन उसके बावजूद उसके द्वारा प्रतिकूल लेखन प्रकाशित करने हेतु ईमेल प्रेषित करते हुए अनुचित राशि की मांग कर उद्यापन किया तथा परिवादी द्वारा 11700/– रूपये की राशि भी मजबूरी में उसके खाते में अन्तरित करायी गयी है, जिसके संबंध में भी अनुसंधान होना शेष है, अन्त में अपराध गंभीर होना बताते हुए अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों के तर्कों के समर्थन में पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य जमानत आदेश का अवलोकन किया।

हस्तगत मामले में यह प्रकट हुआ है कि अभियुक्त–प्रार्थी पत्रकार के रूप में कार्य कर रहा है, उसके द्वारा परिवादी कम्पनी के विरूद्ध कुछ समाचार/लेख प्रकाशित किये जाने के संबंध में विवाद होने पर मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है जिसमें दोनों ही पक्षों को कुछ निर्देश प्रदान किये गये हैं। वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट के माध्यम से यह आरोप लगाया गया है कि अभियुक्त द्वारा ईमेल प्रेषित कर अनाधिकृत व बलपूर्वक परिवादी पक्ष को राशि उपलब्ध कराने व उद्यापित करने हेतु उस पर दबाव बनाया गया तथा

मजबूरी में परिवादी पक्ष द्वारा 11700/– रूपये अभियुक्त के बैंक खाते में जमा कराये गये, लेकिन उसके बावजूद अभियुक्त द्वारा उसे सतत रूप से ब्लेकमेलव आतंकित किया जा रहा है।

कथित ईमेल के संबंध में अनुसंधान होना शेष है, 11700/– रूपये की राशि जो अभियुक्त के बैंक खाते में जमा हुई है, इस बाबत् भी कोई विवाद नहीं है, लेकिन जमा होने के पश्चात यह राशि अभियुक्त द्वारा लौटायी गयी हो, ऐसा तथ्य अभिलेख पर नहीं है। दोनों पक्षों की ओर से जो परस्पर विरोधी कथन किये गये हैं, उनके संबंध में अनुसंधान होना शेष है। अभियुक्त को मिथ्या आलिप्त किया गया हो, ऐसी स्थिति प्रथमदृष्टया प्रकट नहीं हो रही है।

अतः अभियुक्त के विरूद्ध आरोपों की गंभीरता तथा उससे अभिरक्षात्मक अनुसंधान की आवश्यकता, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी–अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

(UMA SHANKER VYAS),J

Crt_7/D-A/101/Mittal